

वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 अक्टूबर 2015-कार्तिक 8, शके 1937

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

आम सूचना

सर्व-साधारण को घोषणा के माध्यम से सूचित किया जाता है कि मैं, रामचरण (यादव) राव, ग्राम-दुआरा, पोस्ट-छुही, सिद्धाश्रम विजयसोता (रे. स्टे.) को सिद्धाश्रम की संस्थापक मु. स. दमयन्ती माता जी बेवा पति एम. एम. सिमइया जाति राव द्वारा दिनांक 14-08-1984 को विधिवत दत्तक पुत्र के रूप में मेरी माता सरस्वती देवी से प्राप्त कर दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार किया है। तब से मैं रामचरण यादव की बजाय एम. रामचरण राव के नाम से जाना जाता हूँ तथा दत्तक ग्रहण के बाद मैं अपनी प्राकृतिक माता के बजाय दत्तक ग्रहिता माता के साथ अपने परिवार सहित रहकर उनके कुल परम्परा के अनुसार जीवन-यापन करता हूँ तथा अब मेरा अपनी प्राकृतिक माता के कुलवंश परम्परा व परिसम्पत्तियों से कोई सम्बन्ध, हक, हिस्सा व अधिकार नहीं है।

पुराना नाम :

(रामचरण यादव)

(412-बी.)

नया नाम :

(एम. रामचरण राव)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम आदित्य बराल था। अब मेरा नाम आदित्य सिंह बराल हो गया है, अब मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जाये।

पुराना नाम :

(आदित्य बराल)

(414-बी.)

नया नाम :

(आदित्य सिंह बराल)

(उम्र-19 वर्ष)

पिता- अरूण कुमार बराल,
15/2, प्रगति नगर, उज्जैन (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व नाम आदित्य कुमार शर्मा पिता सत्यनारायण शर्मा, निवासी-गरोठ, जिला मंदसौर था। अब मेरा नाम आदित्य शर्मा पिता सत्यनारायण शर्मा, निवासी गरोठ, जिला मंदसौर है।

पुराना नाम :

(आदित्य कुमार शर्मा)

(413-बी.)

नया नाम :

(आदित्य शर्मा)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स जी. आर. कन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स स्थित 194, रिछरा फाटक, भारतगठ मार्ग, दतिया, जिसका पंजीयन क्रमांक-02/39/01/00203/14, वर्ष 2013-14, दिनांक 24-03-2014 से पंजीकृत है। जिसमें दिनांक 07-08-2015 से श्री बसंत कुमार सक्सैना पुत्र स्व. श्री रामचरन लाल सक्सैना, निवासी-वैधोवाली गली, वडे बहादुर जू की हवेली के पास दतिया फर्म में सम्मिलित हो गये हैं। सर्वजन एवं आमजन सूचित हों।

फर्म-मै. जी. आर. कन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स,
पवन कुमार नापित,
(भागीदार)
194, रिछरा फाटक, भारतगठ मार्ग,
दतिया (म.प्र.).

(415-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स चेतन्य प्रमोटर एण्ड डेब्लपर्स जिसका पता स्वर्ण भूमि छगगर फार्म बिलहरी, जबलपुर एवं पंजीयन क्रमांक-04/14/01/00124/10, सन् 2010-11, दिनांक 26-10-2010 पंजीयन फर्म है, में दिनांक 08-06-2012 को श्री राजेश गुप्ता पुत्र राम कुमार गुप्ता, निवासी 231, स्ट्रीट नं. 07, सदर जबलपुर फर्म में नये भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गए हैं एवं दिनांक 01-04-2014 को अनुभव अग्रवाल पुत्र श्री दीपक अग्रवाल, निवासी-553, केन्ट सदर, जबलपुर फर्म में नये भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गए हैं एवं दिनांक 01-04-2014 को भागीदार सचिन उपाध्याय पुत्र सुरेश उपाध्याय, निवासी-1806, कजरवारा रानी लक्ष्मी बाई, वार्ड जबलपुर मध्यप्रदेश अपनी स्वेच्छा पूर्वक फर्म से पृथक् हो गए हैं एवं दिनांक 01-04-2014 को श्री राजेश गुप्ता पुत्र राम कुमार गुप्ता, निवासी-231, स्ट्रीट नं. 07, सदर जबलपुर, मध्यप्रदेश अपनी स्वेच्छा पूर्वक फर्म से पृथक् हो गए हैं आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

फर्म-चेतन्य प्रमोटर एण्ड डेब्लपर्स,
आर्दश अग्रवाल,
(भागीदार)
पता-स्वर्ण भूमि छगगर फार्म, बिलहरी
जबलपुर.

(416-बी.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, विदिशा

प्र.क्र./01/बी-113/2015-16.

विदिशा, दिनांक 06 अक्टूबर, 2015

प्रारूप-4

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिये]

श्री रमेशचंद्र श्रीवास्तव, अध्यक्ष, श्री राधाकृष्ण लक्ष्मीनारायण मंदिर ट्रस्ट, लालापुरा, नंदवाना, विदिशा द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है। एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 09 नवम्बर, 2015 को विचार के लिये लिया जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उस बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने पर विचार रखता हो, तो उसे इस सूचना को लोक न्यास को दे, जिसका कि वह गठन करती है।

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास, अनुविभागीय अधिकारी, विदिशा लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 09 नवम्बर, 2015 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) में द्वारा यह अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ।

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का वर्णन)

1. लोक न्यास का नाम और पता : श्री राधाकृष्ण लक्ष्मीनारायण मंदिर ट्रस्ट, लालापुरा नंदवाना, विदिशा.
2. चल सम्पत्ति :

क्र.	विवरण	अनुमानित मूल्य
1.	श्री राधाकृष्ण भगवान की मूर्ति चाँदी का मुकुट सहित 2 नग.	20000.00
2.	श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की मूर्ति चाँदी का मुकुट सहित संगमरमर की	20000.00
3.	झालर 02 नग पीतल के	1000.00
4.	फर्श नग 02	2000.00
5.	शंख नग 01	400.00
6.	कलश नग 04 तांबे के	4000.00
7.	गरूड़ घंटी 02 एक छोटी, एक बड़ी	500.00
8.	आरती नग 02 पीतल की एक छोटी, एक बड़ी	200.00
9.	तांबे का लोटा नग 01	200.00
10.	गिलास 01	10.00
11.	पंचपात्री 01 तांबे की	200.00
12.	समथी नग 02 पीतल	1000.00
13.	ढोलक नग 01 मंजीरा 02	1000.00
14.	पोखाकें 15 जोड़	2000.00
योग :-		25,30,500.00

3. अचल सम्पत्ति : विदिशा स्थित लालापुरा नंदवाना में आ. क्र. 558 रकबा 521 वर्गमीटर में मंदिर बना हुआ. मंदिर प्रांगण में दो मंजिला भवन स्थित है. अनुमानित मूल्य 25.00 लाख.

(549)

आर. पी. अहिरवार,
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

अंकुर प्राथमिक मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./जी.डब्ल्यू/आर./986, दिनांक 01 जुलाई, 2009 को प्रतिवर्ष समय-समय पर अंकेक्षण न कराये जाने से अक्रियाशीलता एवं दायित्व हीनता व्यक्त होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने से उक्त आरोपों का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/1399, दिनांक 11 अगस्त, 2015 के माध्यम से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 14 सितम्बर, 2015 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 21 अगस्त, 2015 को पृष्ठ क्र. 1396 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं। मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत अंकुर प्राथमिक मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री बी. एल. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 15 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(544)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

रविन्द्र नाथ टेगोर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्र./डी.आर./जी.डब्ल्यू.आर./01, दिनांक 19 अगस्त, 1959 को प्रतिवर्ष समय-समय पर अंकेक्षण न कराये जाने से अक्रियाशीलता एवं दायित्व हीनता व्यक्त होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने से उक्त आरोपों का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/1409, दिनांक 11 अगस्त, 2015 के माध्यम से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 14 सितम्बर, 2015 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 21 अगस्त, 2015 को पृष्ठ क्र. 1401 पर हो चुका है।

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं। मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत रविन्द्र नाथ टेगोर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री के. सी. शर्मा, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 15 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(544-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) एवं 53 (12) के अन्तर्गत]

श्री लक्ष्मी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./जी.डब्ल्यू.आर./152, दिनांक 12 सितम्बर, 1989 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./1151, दिनांक 12 मई, 1998 के द्वारा परिसमापन में लाया गया। परिसमापक श्री के. आर. शर्मा द्वारा दिनांक 26 अप्रैल, 2015 को संस्था के सदस्यों की आमसभा आयोजित की गई। आम सभा में संस्था के सदस्यों द्वारा संस्था को क्रियाशील कर कार्ययोजना के आधार पर एक सक्षम इकाई बनाये जाने का संकल्प करते हुये संस्था को पुनः जीवित किये जाने का प्रस्ताव पास किया गया जिसके आधार पर परिसमापक श्री के. आर. शर्मा द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा की गई।

पुनर्जीवित-अनुशंसा-प्रस्ताव की कमियों की पूर्ति हेतु पुनः कार्यालयीन आदेश क्रमांक परिसमापन/1355, दिनांक 06 अगस्त, 2015 द्वारा श्री अजय आहूजा, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया। परिसमापक श्री अजय आहूजा द्वारा संस्था को पुनर्जीवित होने के पश्चात् परिसमापन में लाये जाने के कारणों को परिशुद्ध करने बावत्, संस्था सदस्यों द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र एवं संस्था की वर्ष 2014-15 की पारित अंकेक्षण टीप प्रस्तुत करते हुये पुनः संस्था को पुनर्जीवित किये जाने की अनुशंसा की गई।

अतः मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, ग्वालियर, परिसमापक की अनुशंसा एवं संस्था के सदस्यों के आर्थिक हितों को दृष्टिगत रखते हुये, संस्था के क्रियाशील एवं सक्षम इकाई होने की संभावना के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के तहत श्री लक्ष्मी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर का परिसमापन आदेश निरस्त करता हूँ एवं संस्था के निर्वाचन होने तक संस्था के कार्य संचालन हेतु अधिनियम की धारा-53 (12) के अन्तर्गत श्री अजय आहूजा, सहकारी निरीक्षक को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करते हुये निर्देशित किया जाता कि तीन माह के अन्दर संस्था की नवीन प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचन हेतु मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल को विधिवत् आवेदन कर निर्वाचन करावें।

यह आदेश आज दिनांक 15 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(544-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

त्रिमूर्ति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्र.डी.आर./जी.डब्ल्यू.आर./97, दिनांक 31 दिसम्बर, 1991 है को प्रतिवर्ष समय-समय पर अंकेक्षण न कराये जाने से अक्रियाशीलता एवं दायित्व हीनता व्यक्त होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने से उक्त आरोपों का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/1404, दिनांक 11 अगस्त, 2015 के माध्यम से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 14 सितम्बर, 2015 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 31 अगस्त, 2015 को पृष्ठ क्र. 1399 पर हो चुका है.

निर्धारित समयवधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत त्रिमूर्ति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एम. एस. भदौरिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 19 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(550)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

गालव गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्र./डी.आर./जी.डब्ल्यू.आर./146, दिनांक 01 अप्रैल, 1989 है को प्रतिवर्ष समय-समय पर अंकेक्षण न कराये जाने से अक्रियाशीलता एवं दायित्व हीनता व्यक्त होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने से उक्त आरोपों का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/1422, दिनांक 11 अगस्त, 2015 के माध्यम से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 14 सितम्बर, 2015 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 21 अगस्त, 2015 को पृष्ठ क्र. 1409 पर हो चुका है.

निर्धारित समयवधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत गालव गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री पी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 19 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(550-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

महाराज अजमीण गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्र./डी.आर./जी.डब्ल्यू.आर./183, दिनांक 20 नवम्बर, 1991 है को प्रतिवर्ष समय-समय पर अंकेक्षण न कराये जाने से अक्रियाशीलता एवं दायित्व हीनता व्यक्त होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने से उक्त आरोपों का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/1419, दिनांक 11 अगस्त, 2015 के माध्यम से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 14 सितम्बर, 2015 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 21 अगस्त, 2015 को पृष्ठ क्र. 1407 पर हो चुका है.

निर्धारित समयवधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों से अवगत है एवं संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है तथा उसे उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत महाराज अजमीण गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,

ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री नरेश सगर, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 19 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(550-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

शिक्षक कांग्रेस गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्र./डी.आर./जी.डब्ल्यू.आर./130, दिनांक 10 दिसम्बर, 1986 है को प्रतिवर्ष समय-समय पर अंकेक्षण न कराये जाने से अक्रियाशीलता एवं दायित्व हीनता व्यक्त होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने से उक्त आरोपों का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/1415, दिनांक 11 अगस्त, 2015 के माध्यम से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 14 सितम्बर, 2015 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 21 अगस्त, 2015 को पृष्ठ क्र. 1404 पर हो चुका है।

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं। मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत शिक्षक कांग्रेस गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री जी. डी. बरसैया, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 19 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(550-C)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

मधुवन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्र./डी.आर./जी.डब्ल्यू.आर./133, दिनांक 27 मार्च, 1987 है को प्रतिवर्ष समय-समय पर अंकेक्षण न कराये जाने से अक्रियाशीलता एवं दायित्व हीनता व्यक्त होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने से उक्त आरोपों का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/1417, दिनांक 11 अगस्त, 2015 के माध्यम से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 14 सितम्बर, 2015 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 21 अगस्त, 2015 को पृष्ठ क्र. 1406 पर हो चुका है।

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं। मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत मधुवन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. डी. पचौरिया, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 19 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

संजय दलेला,
उप-पंजीयक.

(550-D)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन

खरगौन, दिनांक 08 सितम्बर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/1042.—रेवती प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., महेश्वर, तहसील महेश्वर, जिला खरगौन का पंजीयन क्रमांक/एन.एम.आर./के. आर. जी. एन./1445, दिनांक 14 अक्टूबर, 2005 को कार्यालयीन आदेश क्र./परि./2014/723, दिनांक 14 अक्टूबर, 2014 द्वारा परिसमापन में लाया गया था। परिसमापक श्री आर. के. रोमडे, सहकारी निरीक्षक द्वारा दिनांक 03 सितम्बर, 2014 को सदस्यों की विशेष आमसभा आयोजित की गई। जिसमें आगामी दो वर्षों की कार्ययोजना बनाकर संस्था को पुनर्जीवित हेतु निर्णय लिया गया।

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5/1/99/पन्द्रह/1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा अधिनियम-69 (4) के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सदस्यों के व्यापक हित में रेवती प्राथमिक सहकारी उपाभोक्ता भण्डार मर्या., महेश्वर, तहसील महेश्वर, जिला खरगोन का पंजीयन क्रमांक/एन.एम.आर./के. आर. जी. एन./1445, दिनांक 14 अक्टूबर, 2005 निम्न शर्तों के साथ पुनर्जीवित किया जाता है :-

1. समिति की प्रस्तुत कार्ययोजना अनुसार अपना कार्य 3 माह में व्यवसाय समिति के उपविधि के अनुरूप करना सुनिश्चित करेगी एवं प्रगति से कार्यालय को अवगत कराएगी.
2. समिति प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् दो माह के भीतर अंकेक्षण हेतु संस्था के वित्तीय पत्रक एवं अन्य अभिलेख कार्यालय को अनिवार्यतः प्रस्तुत करेगी.
3. समिति की तदर्थ प्रबंधकारिणी समिति तीन माह के भीतर निर्वाचन कराये जाने हेतु विधिवत् प्रस्ताव कार्यालय में प्रस्तुत करेगी.
4. नामांकित अवधि में संचालक मण्डल द्वारा प्रस्तावित कार्ययोजना अनुसार संचालन न करने पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी.
5. समिति की पुरानी लाभ-हानि एवं समस्त लेनदारी-देनदारी के निराकरण की जिम्मेदारी समिति की होगी.
6. समिति की नामांकित प्रबंधकारिणी निर्वाचन होने श्री आर. के. रोमडे, सहकारी निरीक्षक के नियंत्रण एवं मार्गदर्शन में कार्य करेगी एवं प्रत्येक गतिविधियों से अवगत करायेगी.

संस्था की विशेष आमसभा में कार्य संचालन हेतु प्रस्तावित निर्मांकित कार्यकारिणी समिति तीन माह हेतु नामांकित की जाती है, जो उपर्युक्त शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगी.

नामांकित कार्यकारिणी:-

1.	श्रीमति ज्योति चंद्र भूषण महाजन	अध्यक्ष
2.	श्री संजय सदाशिव प्रसाद दुबे	उपाध्यक्ष
3.	श्री राधेश्याम पिता बाउ राजपूत	संचालक
4.	श्री नयन सिंह पिता बाबूसिंह	संचालक
5.	श्रीमति अनिता मुकेश ठाकुर	संचालक
6.	श्रीमति कुसुमबाई जगदीशचंद्र महाजन	संचालक
7.	श्री पूनमचंद बाबूलाल मालवीय	संचालक
8.	श्री विजय रामचंद्र महाजन	संचालक
9.	श्री मोहन सिताराम मालाकार	संचालक
10.	श्रीमति मंगतीबाई कैलाश राजपूत	संचालक
11.	श्री जगदीश गुलाबचंद राजपूत	संचालक

यह आदेश आज दिनांक 08 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

बी. एस. अलावा,
उप-पंजीयक.

(545)

कार्यालय परिसमापक कृष्णा साख सहकारिता मर्या., सोनखेडी, तहसील झिरन्या, जिला खरगोन

दिनांक 15 सितम्बर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 की धारा-57 (ग) के अन्तर्गत]

कृष्णा साख सहकारिता मर्या., सोनखेडी, तहसील झिरन्या, जिला खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक 82, दिनांक 19 जुलाई, 2005 संशोधित एन. एम. आर. (केआरजीएन) 1784, दिनांक 10 मार्च, 2014 है, को कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन के आदेश क्रमांक 1592, दिनांक 22 दिसम्बर, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में किया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि

हो, तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वांछित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा क्लेम मान्य नहीं किया जावेगा। संस्था का लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

सूचना आज दिनांक 15 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(546)

दिनांक 15 सितम्बर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 की धारा-57 (ग) के अन्तर्गत]

महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सोनखेडी, तहसील झिरन्या, जिला खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1414, दिनांक 12 अप्रैल, 2005 को कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन के आदेश क्रमांक 1317, दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में किया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वांछित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा क्लेम मान्य नहीं किया जावेगा। संस्था का लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

सूचना आज दिनांक 15 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

बसन्त यादव,

सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(546-A)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2384, दिनांक 04 दिसम्बर, 2012 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बिरगोद, तह. तराना, जिला उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 655, दिनांक 16 मार्च, 1984 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एस. मेहर, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 06 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(547)

उज्जैन, दिनांक 06 अक्टूबर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2015/3776.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 146, दिनांक 28 जनवरी, 2008 द्वारा लक्ष्मी नृसिंह सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1483, दिनांक 03 जून, 1998 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री शांतिलाल चौहान, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 06 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(547-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1507, दिनांक 05 जुलाई, 2013 द्वारा डॉ. अम्बेडकर सहकारी साख संस्था मर्या., उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1402, दिनांक 31 अगस्त, 1995 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री समीर हरदास, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 06 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

मनोज जायसवाल,
उप-पंजीयक.

(547-B)

कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, सामान्य वनमण्डल, दतिया

सर्व-साधारण जनता एवं पशु चराने वालों को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित वृक्षारोपणों/कूपों को दिनांक 1 जुलाई, 2015 से 30 जून, 2016 तक के लिये चराई से वर्जित क्षेत्र घोषित किया जाता है, जो व्यक्ति इन वर्जित क्षेत्रों में पशु चराई करायेगा उसके विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-26 व 33 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही कर दण्डित किया जावेगा:—

चराई से वर्जित क्षेत्रों की सूची वर्ष 2015-16

क्र.	परिक्षेत्र का नाम	वृक्षारोपण का नाम	कक्ष क्र.	वर्ष	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
1	2	3	4	5	6
1.	सेंवड़ा	जरा	पी-5	2010-11	113.18
2.	सेंवड़ा	डोंगपुर	पी-28	2010-11	188.56
3.	सेंवड़ा	डिरोलीपार	पी-9	2010-11	180.9
4.	सेंवड़ा	रोशनपुरा	पी-2	2010-11	92.47
5.	सेंवड़ा	रिपोली	पी-17	2010-11	137.92
6.	सेंवड़ा	डिमरपुरा	पी-22	2010-11	140.67
7.	सेंवड़ा	रिपोली	पी-26	2010-11	121.88
8.	सेंवड़ा	लोकेन्द्रपुर	पी-19	2010-11	100.35
9.	दतिया	जिगना	पी-68	2010-11	116.72
10.	दतिया	उदगुवा	पी-81	2010-11	161.77
11.	दतिया	मुड़रा	पी-87	2010-11	22.05
12.	गोराघाट	बड़ौनी	पी-111	2010-11	..
13.	दतिया	धोरा	33	2010-11	115.66
14.	दतिया	विलासपुर	40	2010-11	98.55
15.	दतिया	धनोली	44	2010-11	94.7

1	2	3	4	5	6
16.	दतिया	चक्र रामसागर	पी-57	2010-11	160.16
17.	दतिया	बाजनी	पी-61	2010-11	113.18
18.	दतिया	घरावा	पी-72	2010-11	57.38
19.	दतिया	रेडा/झडिया	पी-50	2010-11	40
20.	गोराघाट	गोराकोटरा	95	2010-11	63.9
21.	गोराघाट	हिनौतिया	पी-102	2010-11	99.89
22.	गोराघाट	ओरीना	पी-105	2010-11	124.2
23.	गोराघाट	हिनौतिया	पी-100	2010-11	10
24.	दतिया	भूता	पी-52	2010-11	20
25.	सेंवढ़ा	डिरोलीपार	पी-24	2010-11	10
26.	सेंवढ़ा	पनकुंआ	पी-30	2010-11	10
27.	सेंवढ़ा	पनकुंआ	पी-29	2010-11	25
28.	गोराघाट	डंगराकुंआ	पी-98, I	2010-11	25
29.	गोराघाट	डंगराकुंआ	पी-98, II	2010-11	25
30.	गोराघाट	डंगराकुंआ	पी-98, III	2010-11	25
31.	सेंवढ़ा	ढिमरपुरा	पी-22	2010-11	35
32.	सेंवढ़ा	रोशनपुरा	पी-02	2010-11	50
33.	दतिया	उदगवां	पी-80	2010-11	51.44
34.	सेंवढ़ा	जरा	पी-5	2011-12	168.75
35.	सेंवढ़ा	डोगरपुर	पी-28	2011-12	127.57
36.	सेंवढ़ा	डिरोलीपार	पी-15	2011-12	205.43
37.	सेंवढ़ा	रोशनपुरा	पी-2	2011-12	118.58
38.	सेंवढ़ा	मदनपुरा	पी-14	2011-12	95.62
39.	सेंवढ़ा	रिपोली	पी-26	2011-12	120.9
40.	सेंवढ़ा	लोकेन्द्रपुर	पी-20	2011-12	135.45
41.	सेंवढ़ा	ढिमरपुरा	पी-22	2011-12	128.25
42.	दतिया	जिगना	पी-68	2011-12	118.85
43.	दतिया	उदगुवा	पी-82	2011-12	83.93
44.	दतिया	मुडुरा	पी-88	2011-12	58.5
45.	दतिया	पहाड़	34	2011-12	138.15
46.	गोराघाट	विलासपुर	40	2011-12	156.37

1	2	3	4	5	6
47.	गोराघाट	धनोली	44	2011-12	133.42
48.	दतिया	चक्र रामसागर	पी-57	2011-12	108.46
49.	दतिया	बाजनी	पी-63	2011-12	89.34
50.	दतिया	घरावा	पी-72	2011-12	131.62
51.	दतिया	रेडा/झडिया	पी-51	2011-12	132.53
52.	गोराघाट	गोराघाट	96/97	2011-12	84.37
53.	गोराघाट	हिनौतिया	पी-101	2011-12	120.6
54.	गोराघाट	ओरीना	पी-106	2011-12	105.54
55.	दतिया	रिछरा	पी-54	2011-12	50
56.	दतिया	सिरोल	पी-55	2011-12	50
57.	सेंवढ़ा	धनोली	आर.-46	2011-12	50
58.	सेंवढ़ा	रिपोली	पी-26	2011-12	50
59.	सेंवढ़ा	लोकेन्द्रपुर	पी-18	2011-12	50
60.	सेंवढ़ा	डिरोलीपार	पी-15	2011-12	50
61.	सेंवढ़ा	डिरोलीपार	पी-9	2011-12	156
62.	दतिया	गुजर्ग	पी-73-74	2011-12	240
63.	दतिया	उदगुवां	पी-82-83	2011-12	300
64.	गोराघाट	बड़ोनी	पी-111	2011-12	300
65.	गोराघाट	निचरोली	पी-113	2011-12	300
66.	दतिया	चौपरा	पी-64	2011-12	15
67.	गोराघाट	हिनौतिया	पी-103	2011-12	20
68.	सेंवढ़ा	मरसेनी	आर-35	2011-12	15
69.	सेंवढ़ा	ग्राम डोंगरपुर	सर्वे क्र. 61	2011-12	0.915
70.	सेंवढ़ा	ग्यारा	पी-6	2012-13	161.1
71.	सेंवढ़ा	डोगरपुर	पी-28	2012-13	133.87
72.	सेंवढ़ा	मदनपुरा	पी-15	2012-13	165.6
73.	सेंवढ़ा	रोशनपुरा	पी-3	2012-13	116.94
74.	सेंवढ़ा	मदनपुरा	पी-14	2012-13	0
75.	सेंवढ़ा	रिपोली	पी-26	2012-13	120.6
76.	सेंवढ़ा	लोकेन्द्रपुर	पी-20	2012-13	141.3
77.	सेंवढ़ा	ढिमरपुरा	पी-22	2012-13	127.12

1	2	3	4	5	6
78.	दतिया	डांग करैरा	पी-76	2012-13	145.23
79.	दतिया	उदगुवां	पी-82	2012-13	134.55
80.	दतिया	मुड़रा	पी-89	2012-13	25.2
81.	गोराघाट	निचरोली	पी-112	2012-13	183.15
82.	दतिया	पहाड़	34	2012-13	197.5
83.	गोराघाट	गोविन्द नगर	41	2012-13	102.66
84.	गोराघाट	रजौरा	45	2012-13	138.82
85.	दतिया	चक्र रामसागर	पी-57	2012-13	106.65
86.	दतिया	चौपरा	पी-64	2012-13	104.95
87.	दतिया	गुजरां	पी-73	2012-13	173.47
88.	दतिया	झिरकाबाग	पी-51	2012-13	139.27
89.	गोराघाट	डंगराकुंआ	98	2012-13	120.15
90.	गोराघाट	हिनीतिया	पी-101	2012-13	105.97
91.	गोराघाट	ओरीना	पी-106	2012-13	107.1
92.	गोराघाट	गोरा कोटरा	आर-93	2012-13	150
93.	सेंवड़ा	गोविन्द नगर	आर-41	2012-13	100
94.	दतिया	झिरकाबाग	पी-51	2012-13	100
95.	दतिया	रिछरा	पी-54	2012-13	100
96.	दतिया	सेरसा	पी-71	2012-13	50
97.	दतिया	लरायटा	पी-75	2012-13	50
98.	दतिया	सलैया पवार	आर-79	2012-13	150
99.	सेंवड़ा	ग्राम डोंगरपुर	सर्वे क्र.83	2012-13	2.016
100.	सेंवड़ा	ग्यारा	पी-6	2013-14	139.05
101.	सेंवड़ा	डोंगरपुर	पी-28	2013-14	139.5
102.	सेंवड़ा	डिरोलीपार	पी-16	2013-14	181.12
103.	सेंवड़ा	रोशनपुरा	पी-3	2013-14	112.05
104.	सेंवड़ा	मदनपुरा	पी-14	2013-14	117.38
105.	सेंवड़ा	खमरौली	पी-27	2013-14	164.47
106.	सेंवड़ा	लोकेन्द्रपुर	पी-20	2013-14	135.35
107.	सेंवड़ा	ढिमरपुरा	पी-22	2013-14	113.13

1	2	3	4	5	6
108.	सेंवढ़ा	पहाड़	आर-35	2013-14	152.78
109.	सेंवढ़ा	गोविन्द नगर	आर-41	2013-14	135
110.	सेंवढ़ा	रजौरा	आर-45	2013-14	108.23
111.	सेंवढ़ा	डिरोलीपार	पी-15	2013-14	200.00
112.	सेंवढ़ा	डिरोलीपार	पी-9	2013-14	150.00
113.	सेंवढ़ा	टुकी	पी-01	2013-14	100.00
114.	सेंवढ़ा	बसई मलक	आर-31	2013-14	150.00
115.	गोराघाट	निचरोली	पी-112	2013-14	177.3
116.	गोराघाट	डंगराकुंआ	आर-98	2013-14	139.05
117.	गोराघाट	हिनौतिया	पी-101	2013-14	102.05
118.	गोराघाट	ओरीना	पी-106	2013-14	124.42
119.	गोराघाट	ओरीना	पी-105, 106	2013-14	500.00
120.	दतिया	मुड़रा	पी-90	2013-14	53.78
121.	दतिया	उदगवां	पी-82	2013-14	65.37
122.	दतिया	जिगना	पी-76	2013-14	120.00
123.	दतिया	गुजर्ग	पी-74	2013-14	74.00
124.	दतिया	चौपरा	पी-64	2013-14	112.366
125.	दतिया	चक रामसागर	पी-58	2013-14	205.9
126.	दतिया	झिरका बाग	पी-52	2013-14	119.25
127.	दतिया	चौपरा	पी-60-61	2013-14	90.00
128.	दतिया	दुर्गापुर	पी-78	2013-14	200.00
129.	दतिया	सिरोल	पी-55, 56	2013-14	270.00
130.	दतिया	बिडनियां	पी-53	2013-14	67.00
131.	सेंवढ़ा	बघावली	पी-16	2014-15	161.560
132.	सेंवढ़ा	ग्यारा	पी-6	2014-15	153.220
133.	सेंवढ़ा	चिताई	पी-29	2014-15	170.780
134.	सेंवढ़ा	बघावली	पी-17	2014-15	155.700
135.	सेंवढ़ा	चिताई	पी-29	2014-15	151.870
136.	सेंवढ़ा	कसा	पी-7	2014-15	141.980
137.	सेंवढ़ा	लोकेन्द्रपुर	पी-21	2014-15	124.200
138.	सेंवढ़ा	लोकेन्द्रपुर	पी-18	2014-15	89.320

1	2	3	4	5	6
139.	सेंवढ़ा	जरा	पी-11	2014-15	123.760
140.	सेंवढ़ा	मदनपुरा	पी-10	2014-15	98.550
141.	सेंवढ़ा	खमरौली	पी-27	2014-15	135.450
142.	सेंवढ़ा	ढिमरपुरा	पी-22	2014-15	121.280
143.	सेंवढ़ा	लोकेन्द्रपुर	पी-20	2014-15	133.400
144.	सेंवढ़ा	रोशनपुरा	पी-3	2014-15	96.530
145.	सेंवढ़ा	मदनपुरा	पी-14	2014-15	115.260
146.	सेंवढ़ा	खमरौली	पी-27	2014-15	124.430
147.	सेंवढ़ा	ढिमरपुरा	पी-23	2014-15	145.350
148.	सेंवढ़ा	रोशनपुरा	पी-12	2014-15	151.870
149.	सेंवढ़ा	चिताई	पी-30	2014-15	154.800
150.	सेंवढ़ा	मदनपुरा	पी-14	2014-15	139.340
151.	सेंवढ़ा	ग्यारा	पी-7	2014-15	150.00
152.	सेंवढ़ा	रिपोली	पी-25	2014-15	150.00
153.	सेंवढ़ा	लोकेन्द्रपुर	पी-21	2014-15	200.00
154.	सेंवढ़ा	डिरोलीपार	पी-24	2014-15	100.00
155.	सेंवढ़ा	डिरोलीपार	पी-15	2014-15	76.00
156.	दतिया	मुड़रा	पी-84	2014-15	99.000
157.	दतिया	मुड़रा	पी-91	2014-15	22.730
158.	दतिया	उदगावां	पी-83	2014-15	121.050
159.	दतिया	सलैया पवार	पी-79	2014-15	163.900
160.	दतिया	मुड़रा	पी-92	2014-15	37.500
161.	दतिया	उदगावां	पी-83	2014-15	116.100
162.	दतिया	सलैया पवार	पी-79	2014-15	186.870
163.	दतिया	झिरकाबाग	पी-50, 51	2014-15	400.00
164.	दतिया	बाजनी	पी-62	2014-15	100.00
165.	दतिया	घरावा	पी-72	2014-15	279.00
166.	दतिया	मुड़रा	पी-81	2014-15	94.00
167.	दतिया	चक्र बहादुरपुर	आर-49	2014-15	127.00
168.	गोराघाट	खोड़न	109	2014-15	203.630
169.	गोराघाट	निचरोली	पी-113	2014-15	212.900

1	2	3	4	5	6
170.	गोराघाट	निचरोली	पी-113	2014-15	200.200
171.	गोराघाट	हिनौतिया	पी-101, 102	2014-15	300.00
172.	गोराघाट	बड़ोनी	पी-109	2014-15	200.00
173.	दतिया	बसईमलक	R-31	2014-15	167.4
174.	दतिया	पहाड़	R-35	2014-15	138.37
175.	दतिया	गोविन्दनगर	R-41	2014-15	137.79
176.	दतिया	रजौरा	R-45	2014-15	101.02
177.	दतिया	पहाड़, बराबुजुर्ग	R-36, P-37	2014-15	207.62
178.	दतिया	गोविन्दनगर	R-41	2014-15	149.38
179.	दतिया	धनौली	R-46	2014-15	141.52
180.	दतिया	बाजनी	P-62	2014-15	188.320
181.	दतिया	चकबहादुरपुर	47	2014-15	173.730
182.	दतिया	चकबहादुरपुर	P-114	2014-15	4.960
183.	दतिया	रिछरा	P-54	2014-15	151.430
184.	दतिया	झिरकाबाग	P-52	2014-15	158.180
185.	दतिया	गुजर्ग	P-74	2014-15	96.400
186.	दतिया	दुर्गापुर	P-78	2014-15	123.530
187.	दतिया	चक्ररामसागर	P-59	2014-15	134.320
188.	दतिया	दुर्गापुर	P-77	2014-15	20.900
189.	दतिया	चकरामसागर	P-59	2014-15	234.330
190.	दतिया	दुर्गापुर	P-78	2014-15	160.200
191.	दतिया	लरायटा	75	2014-15	48.820
192.	दतिया	बिडनिया	P-53	2014-15	199.350
193.	गोराघाट	डगराकुआ	P-100	2014-15	114.070
194.	गोराघाट	हिड़ोरा	104	2014-15	101.700
195.	गोराघाट	घूघसी	P-107	2014-15	84.150
196.	गोराघाट	डगराकुआ	P-99	2014-15	130.400
197.	गोराघाट	हिड़ोरा	104	2014-15	95.620
198.	गोराघाट	घूघसी	P-107	2014-15	91.120
199.	गोराघाट	डगराकुआ	P-99	2014-15	104.170
200.	सेंबढ़ा	कसा	P-7	2015-16	148.500

1	2	3	4	5	6
201.	सेंवढ़ा	बघावली	P-17	2015-16	146.250
202.	सेंवढ़ा	चिताई	P-29	2015-16	180.670
203.	सेंवढ़ा	गुमानपुरा	P-1	2015-16	154.350
204.	सेंवढ़ा	मदनपुरा	P-10	2015-16	106.880
205.	सेंवढ़ा	जरा	P-11	2015-16	107.770
206.	सेंवढ़ा	लोकेन्द्रपुर	P-18	2015-16	137.700
207.	सेंवढ़ा	लोकेन्द्रपुर	P-21	2015-16	131.170
208.	दतिया	चौपरा	P-65	2015-16	207.900
209.	दतिया	पलोथर	P-80	2015-16	122.620
210.	दतिया	बसई	P-85	2015-16	107.560
211.	गोराघाट	खोड़न	109	2015-16	134.320
212.	सेंवढ़ा	बसई	31	2015-16	186.300
213.	सेंवढ़ा	बिलासपुर	39	2015-16	166.950
214.	सेंवढ़ा	भरसूला	42	2015-16	124.420
215.	दतिया	रिछरा	P-54	2015-16	112.270
216.	दतिया	चौपरा	P-60	2015-16	147.820
217.	दतिया	लरायटा	P-70	2015-16	58.950
218.	दतिया	ललउआ	R-69	2015-16	53.550
219.	दतिया	चक बहादुरपुर	R-48	2015-16	103.500
220.	गोराघाट	गोराकोटरा	93	2015-16	86.170
221.	गोराघाट	डंगराकुंआ	P-100	2015-16	107.100
222.	गोराघाट	हिंडौरा	103	2015-16	104.600

(548)

एम. कालीदुरई,
वनमण्डलाधिकारी.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 अक्टूबर 2015-कार्तिक 8, शके 1937

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 1 जुलाई, 2015

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना पाया गया है:—

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील पोरसा (मुरैना), लहार (भिण्ड), डबरा, भितरवार (ग्वालियर), सेंवड़ा, दतिया, भाण्डेर (दतिया), जतारा, पलेरा, ओरछा (टीकमगढ़), गौरीहार, नौगांव, छतरपुर, बिजावर (छतरपुर), रघुराजनगर, रामनगर, मैहर (सतना), अनूपपुर (अनूपपुर), मल्हारगढ़, संजीत (मंदसौर), उज्जैन, बड़नगर (उज्जैन), शुजालपुर, कालापीपल, गुलाना (शाजापुर), बदनावर, मनावर, धरमपुरी (धार), नेपानगर (बुरहानपुर), बैरसिया, बैरागढ़ (भोपाल), सीहोर, आष्टा, नसरुल्लागंज (सीहोर), गोहरगंज (रायसेन), भैंसदेही, शाहपुर, चिचोली, बैतूल, मुलताई, आमला (बैतूल), सिवनी-मालवा, बाबई, इटारसी (होशंगाबाद), बजाग, डिण्डोरी (डिण्डोरी), छिन्दवाड़ा, सोंसर, पांडुर्ना, अमरवाड़ा (छिन्दवाड़ा), सिवनी, केवलारी, लखनादौन, बरघाट, कुरई, छपारा (सिवनी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील भिण्ड, गोहद, मेहगांव, मिहोना (भिण्ड), निवाड़ी, पृथ्वीपुर, बल्देवगढ़ (टीकमगढ़), अजयगढ़ (पन्ना), बंडा, गढ़ाकोटा, राहतगढ़ (सागर), रामपुर-बघेलान (सतना), बुढ़ार (शहडोल), जैतहरी, कोतमा, पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), पाली (उमरिया), कुसमी, चुरहट, रामपुरनैकिन (सीधी), मंदसौर, सीतामऊ (मंदसौर), नीमच, जावद, मनासा (नीमच), मो. बड़ोदिया (शाजापुर), सरदारपुर, धार, कुक्षी (धार), ढीमरखेड़ा (कटनी), नैनपुर, घुघरी (मंडला), जुन्नारदेव, परासिया, तामिया, चौरई (छिन्दवाड़ा), घन्सौर-घनौरा (सिवनी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील अटेर (भिण्ड), टीकमगढ़, लवकुशनगर, राजनगर, बड़ामल्हरा (छतरपुर), शाहनगर (पन्ना), बीना, रहली, मालथोन (सागर), सिरमोर, गुढ़ (रीवा), सोहागपुर, गोहरा (शहडोल), बांधवगढ़ (उमरिया), मानपुर, सुबासराटप्पा, गरोठ, कयामपुर (मंदसौर), महिदपुर, घटिया, नागदा (उज्जैन), गंधवानी, डही (धार), रायसेन, सिलवानी, बाड़ी (रायसेन), कुण्डम (जबलपुर), रीठी, बहोरीबंद (कटनी), नारायणगंज, निवास (मण्डला) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.—तहसील अम्बाह, मुरैना, जौरा, सबलगढ़, कैलारस (मुरैना), ग्वालियर, घाटीगांव (ग्वालियर), बक्सवाहा (छतरपुर), पन्ना, गुन्नौर, पवई (पन्ना), खुरई, सागर, देवरी, केसली, शाहगढ़ (सागर), त्योंथर, मऊगंज, हनुमना, हजूर, रायपुरकचुलियान (रीवा), ब्यौहारी, जैसिंगनगर, जैतपुर (शहडोल), मानपुर (उमरिया), गोपदबनास, सिंहावल, मझोली (सीधी), श्यामगढ़,

धुन्धड़का (मंदसौर), खाचरौद, तराना (उज्जैन), शाजापुर (शाजापुर), लटेरी, सिरोंज, कुरवाई, बासौदा, नटेरन, विदिशा, गुलाबगंज, ग्यारसपुर (विदिशा), गैरतगंज, बरेली, बेगमगंज (रायसेन), सोहागपुर, पिपरिया, वनखेड़ी, पचमढ़ी (होशंगाबाद), सीहोरा, पाटन, जबलपुर, मझोली (जबलपुर), कटनी, बड़वारा, विजयराघौगढ़, बरही (कटनी), गाडरवारा, करेली, नरसिंहपुर, गोटेगांव, तेन्दूखेड़ा (नरसिंहपुर), बिछिया, मंडला (मंडला), शाहपुरा (डिण्डोरी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**— जिला मुरैना, ग्वालियर, सागर, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, शाजापुर, रायसेन, जबलपुर, कटनी, मंडला, सिवनी में खरीफ फसलों की जुताई व भोपाल, बैतूल, डिण्डोरी में धान की रोपाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**— जिला डिण्डोरी में फसल मक्का, सोयाबीन व सागर, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, उज्जैन, शाजापुर, देवास, इन्दौर, खरगौन, बुरहानपुर, विदिशा, भोपाल, रायसेन, बैतूल, हरदा, जबलपुर, कटनी, मंडला व सिवनी में खरीफ फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति.**—

5. **कटाई.**—

6. **सिंचाई.**— जिला ग्वालियर, उमरिया, सागर, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, झाबुआ, बड़वानी, भोपाल में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**— राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**— राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**— राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**— राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, समाहांत बुधवार, दिनांक 1 जुलाई, 2015

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि.मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह	63.0				
2. पोरसा	14.0				
3. मुरैना	64.6				
4. जौरा	71.40				
5. सबलगढ़	154.0				
6. कैलारस	100.0				
*जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ...	7. .. 8. ...
1. श्योपुर	..				
2. कराहल	..				
3. विजयपुर	..				
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर	44.0				
2. भिण्ड	32.0				
3. गोहद	30.0				
4. मेहगांव	20.2				
5. लहार	17.0				
6. मिहोना	20.0				
7. रौन					
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	56.6				
2. डबरा	10.8				
3. भितरवार	9.0				
4. घाटीगांव	97.0				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवदा	7.0				
2. दतिया	13.0				
3. भाण्डेर	2.0				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	..				
2. पिछोर	..				
3. खनियाधाना	..				
4. नरवर	..				
5. करैरा	..				
6. कोलारस	..				
7. पोहरी	..				
8. बदरवास	..				

1	2	3	4	5	6
*जिला अशोकनगर:	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. मुँगावली	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. ईसागढ़	..		(2) ..		
3. अशोकनगर	..				
4. चन्देरी	..				
5. शाढौरा	..				
जिला गुना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	25.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	24.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	13.0				
4. टीकमगढ़	46.0				
5. बल्देवगढ़	31.0				
6. पलेरा	11.0				
7. ओरछा	10.0				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. ..
1. लवकुशनगर	39.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	6.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	2.4				
4. छतरपुर	7.2				
5. राजनगर	43.1				
6. बिजावर	11.0				
7. बड़ामलहरा	40.4				
8. बक्स्वाहा	65.2				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. अजयगढ़	22.2		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	63.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	58.0				
4. पवई	75.0				
5. शाहनगर	41.0				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	40.6		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तिवड़ा, राई-सरसों, अलसी, आलू, प्याज समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	78.5		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	25.8				
4. सागर	76.6				
5. रेहली	50.0				
6. देवरी	55.0				
7. गदाकोटा	34.2				
8. राहतगढ़	27.2				
9. केसली	65.0				
10. मालथोन	50.2				
11. शाहगढ़	65.0				

1	2	3	4	5	6
*जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. हटा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. बटियागढ़	..		(2) ..		
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. रघुराजनगर	4.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. रामपुर-बघेलान	28.0				
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	..				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	13.0				
8. मैहर	5.0				
9. बिरसिंहपुर	..				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्योंथर	107.0	कार्य चालू है.	4. (1) गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	42.9		मसूर, अलसी, अरहर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. मऊगंज	145.0		(2) ..		
4. हनुमना	156.0				
5. हजूर	69.8				
6. गुढ़	49.2				
7. रायपुरकचुलियान	57.0				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	46.0	कार्य चालू है.	4. (1) धान, मक्का, सोयाबीन, कोंदो-कुटकी, तुअर समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	103.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. गोहपारू	50.0				
4. जैसिंहनगर	64.0				
5. बुढार	20.6				
6. जैतपुर	65.0				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	19.8	कार्य चालू है.	4. (1) मक्का, धान कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	11.4		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कोतमा	29.2				
4. पुष्पराजगढ़	18.5				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	53.1	कार्य चालू है.	4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाली	26.5		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मानपुर	74.0				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, तुअर, तिल, उड़द, मूँग, ज्वार, मक्का कम. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	115.4				
2. सिंहावल	110.0				
3. मझौली	59.4				
4. कुसमी	25.0				
5. चुरहट	33.2				
6. रामपुरनैकिन	25.8				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. चितरंगी	..				
2. देवसर	..				
3. सिंगरौली	..				
जिला मन्दासौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) सोया अधिक. मक्का कम. ° (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	49.2				
2. भानपुरा	48.0				
3. मल्हारगढ़	12.0				
4. गरोठ	53.1				
5. मन्दासौर	25.0				
6. श्यामगढ़	64.4				
7. सीतामऊ	29.6				
8. धुन्धड़का	70.0				
9. संजीत	12.0				
10. कयामपुर	37.0				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावद	19.2				
2. नीमच	27.0				
3. मनासा	29.0				
जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, कपास समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावरा	..				
2. आलोट	..				
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. पिपलौदा	..				
6. रतलाम	..				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) सोयाबीन मक्का. (2) .. °	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खाचरौद	83.0				
2. महिदपुर	48.0				
3. तराना	63.0				
4. घटिया	40.0				
5. उज्जैन	17.0				
6. बड़नगर	13.0				
7. नागदा	40.0				
जिला आगर :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. बड़ौद	..				
2. सुसनेर	..				
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) सोयाबीन. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	22.0				
2. शाजापुर	80.0				
3. शुजालपुर	6.0				
4. कालापीपल	8.0				
5. गुलाना	3.0				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नौद	..				
6. खातेगांव	..				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	..		4. (1) मक्का, सोयाबीन, उड़द, कपास,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	..		धान अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	..		(2) ..		
4. झाबुआ	..				
5. राणापुर	..				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. जोवट	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कट्टीवाड़ा	..				
4. सोण्डवा	..				
5. भामरा	..				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	12.3		4. (1) गन्ना अधिक. गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	21.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. धार	23.7				
4. कुक्षी	20.8				
5. मनावर	13.0				
6. धरमपुरी	13.0				
7. गंधवानी	43.0				
8. डही	37.0				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देफ्लनपुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	..				
4. महू	..				
(डॉ. अम्बेडकरनगर)					
जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	..		4. (1) मक्का, बाजरा, कपास, मूंगफली,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	..		अलसी, राई-सरसों अधिक. ज्वार,	चारा पर्याप्त.	
3. सेगांव	..		धान, तुअर, गेहूँ, चना कम.		
4. खरगौन	..		(2) ..		
5. गोगावां	..				
6. कसरावद	..				
7. भगवानपुरा	..				
8. भीकनगांव	..				
9. झिरन्या	..				

1	2	3	4	5	6
जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	..		4. (1) गन्ना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. ..
2. ठीकरी	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. राजपुर	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
*जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. खण्डवा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. पंधाना	..		(2) ..		
3. हरसूद	..				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	3.0				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	..		4. (1) गोहूँ, चना, जौ, सरसों, मसूर	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	..		अधिक. गन्ना समान.	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	..		(2) ..		
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचोर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	119.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	98.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	237.2				
4. बासौदा	125.0				
5. नटेरन	109.0				
6. विदिशा	196.5				
7. गुलाबगंज	210.0				
8. ग्यारसपुर	105.0				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की बोनी व धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	4.9		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	7.6		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. ..
1. सीहोर	6.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	10.0		(2)	
3. इछावर	..				
4. नसरुल्लागंज	2.0				
5. बुधनी	..				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. ... 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. रायसेन	35.6				
2. गैरतगंज	70.4				
3. बेगमगंज	91.0				
4. गौहरगंज	16.0				
5. बरेली	64.8				
6. सिलवानी	51.4				
7. बाड़ी	51.0				
8. उदयपुरा	..				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	3.4				
2. घोड़ाडोंगरी	..				
3. शाहपुर	10.0				
4. चिचोली	2.2				
5. बैतूल	5.8				
6. मुलताई	4.0				
7. आठनेर	..				
8. आमला	13.0				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. ... 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	11.0				
2. होशंगाबाद	..				
3. बावई	5.0				
4. इटारसी	8.0				
5. सोहागपुर	88.0				
6. पिपरिया	66.0				
7. वनखेड़ी	93.0				
8. पचमढ़ी	89.2				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हरदा	..				
2. खिड़किया	..				
3. टिमरनी	..				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. ... 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सीहोरा	82.8				
2. पाटन	67.3				
3. जबलपुर	56.3				
4. मझौली	83.9				
5. कुण्डम	37.3				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. कटनी	55.5				
2. रीठी	53.0				
3. बड़वारा	72.0				
4. विजयराघौगढ़	77.0				
5. बहोरीबंद	44.8				
6. ढीमरखेड़ा	22.0				
7. बरही	64.0				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	62.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. करेली	164.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नरसिंहपुर	101.0				
4. गोटेगांव	113.0				
5. तेन्दूखेड़ा	138.0				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	37.7	चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	89.9		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नैनपुर	19.6				
4. मण्डला	182.6				
5. घुघरी	32.5				
6. नारायणगंज	51.6				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं मक्का, सोयाबीन	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	16.6	की बोनी व धान की रोपाई	4. (1) तुअर बिगड़ी हुई. राई-सरसों, गेहूँ,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बजाग	9.3	का कार्य चालू है.	चना, मसूर, अलसी, मटर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुरा	96.6		(2) . .		
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	8.0		4. (1) सोयाबीन, मक्का, धान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	34.8		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	23.6				
4. जामई (तामिया)	22.0				
5. सोंसर	4.4				
6. पांडुर्णा	5.2				
7. अमरवाड़ा	3.2				
8. चौरई	26.8				
9. बिछुआ	. .				
10. हरई	. .				
11. मोहखेड़ा	. .				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	13.4	कार्य चालू है.	4. (1) धान, मक्का, तुअर, उड़द, मूंग,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	3.4		मूंगफली, गन्ना अधिक. ज्वार,	चारा पर्याप्त.	
3. लखनादौन	12.7		कोदों-कुटकी, सोयाबीन, गेहूँ,		
4. बरघाट	2.2		मटर, मसूर, लाख, तिवड़ा, अलसी,		
5. कुरई	10.0		राई-सरसों कम. तिल, सन, चना		
6. घंसौर	19.0		समान.		
7. घनोरा	17.60		(2) . .		
8. छपारा	6.4				
*जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बालाघाट	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. लाँजी	. .		(2) . .		
3. बैहर	. .				
4. वारासिवनी	. .				
5. कटंगी	. .				
6. किरनापुर	. .				

टीप.— *जिला श्योपुर, अशोकनगर, दमोह, खण्डवा, बालाघाट 5 जिलों से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,

आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(543)